छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **सतीश के. अग्निहोत्री**

रिट याचिका (227) क्र. 3106/2008

याचिकाकर्ता : महेंद्र बुडेक, पुत्र शिवरतन, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम चट्टीगिरोला, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवादीगण :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, पंचायत, रायपुर (छ.ग.)।
3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
4. राधेश्याम दास बस्तमदास, सरपंच, ग्राम पंचायत, चट्टीगिरोला, तहसील – सरईपाली, जिला – महासमुंद (छ.ग.)

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राघवेन्द्र प्रधान
राज्य/प्रतिवादी क्र. 1 से 3 की ओर से : श्री विनय हरित(उप महाधिवक्ता)
प्रतिवादी क्र. 4 की ओर से : पी.एस कोशी

निर्णय
(11/08/2008 को पारित)

पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओ की सहमति से याचिका पर अंतिम सुनवाई की जाती है।

2) इस याचिका में संचालक, पंचायत, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 387/अ-89/06-07 (अनुलग्नक-प्रदर्श/1) में पारित आदेश दिनांक 13-6-2008 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कलेक्टर, महासमुंद द्वारा प्रकरण क्रमांक 100/अ-89(3)/06-07 (अनुलग्नक-प्रदर्श/4) में पारित आदेश दिनांक 5-9-2007 को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की गई थी।

3) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रतिवादी क्रमांक 4, ग्राम पंचायत चट्टी-गिरोला, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद का सरपंच निर्वाचित हुआ था। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "अधिनियम, 1993") की धारा 36 के अंतर्गत एक शिकायत और आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी क्रमांक 4, के तीन संतान हैं और तीसरे संतान का जन्म 14-11-2001 को हुआ था। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 को अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) (ड) के प्रावधानों के तहत सरपंच का पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। कलेक्टर/प्रतिवादी क्रमांक 3, ने पक्षों की सुनवाई के बाद माना कि प्रतिवादी क्रमांक 4, का तीसरा संतान 26 जनवरी, 2001 के बाद यानी 14-11-2001 को पैदा हुई थी और इस तरह, प्रतिवादी क्रमांक 4 अयोग्य हो गया और अधिनियम, 1993 की धारा 36 (2) के प्रावधानों के तहत हटाए जाने का हकदार है। तदानुसार, ग्राम पंचायत चट्टीगिरोला, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद के सरपंच का पद आदेश दिनांक 5-9-2007 (अनुलग्नक-पी/4) द्वारा रिक्त घोषित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) व्यथित होकर, प्रतिवादी क्रमांक 4, ने निदेशक, पंचायत, छत्तीसगढ़, रायपुर के समक्ष अपील दायर की। निदेशक, पंचायत ने आदेश दिनांक 13-6-2008 (अनुलग्नक-प्रदर्श/1) द्वारा यह माना कि चूंकि अधिनियम, 1993 की धारा 36(1)(ड) में निहित अयोग्यता को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (संक्षेप में "संशोधन अधिनियम, 2008") द्वारा 23-5-2008 से हटा दिया गया था, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 4 की अयोग्यता हटा दी गई है और वह सरपंच, ग्राम पंचायत चट्टीगिरोला, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद का पद धारण करने का हकदार हो गया है। तदानुसार, कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-9-2007 को करते हुये प्रतिवादी क्रमांक 4, द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार, यह याचिका दायर कि गयी ।

5) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रधान ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम, 2008, 23-5-2008 से अस्तित्व में आया और इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। अतः, निर्वाचन की तिथि और कलेक्टर द्वारा दिनांक 5-9-2007 के आदेश द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 की अयोग्यता को रद्द नहीं किया जा सकता।

6) संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) (ड) के प्रावधानों का विलोपन भूतलक्षी प्रभाव से नहीं हुआ है और इसका प्रभाव भविष्यलक्षी है। जहाँ तक 26 जनवरी, 2001 के बाद अर्थात 14-11-2001 को तीसरे संतान के जन्म से संबंधित तथ्य है, इस पर कोई विवाद नहीं और यह एक स्वीकृत तथ्य है।

7) इसके विपरीत, प्रतिवादी क्रमांक 4, की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोशी, ने तर्क दिया कि अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) (ड) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अयोग्यता को संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा हटा दिया गया था, जो 23-5-2008 से लागू हुआ और इस प्रकार, प्रतिवादी क्रमांक 4 की अयोग्यता समाप्त हो गई। आज तक कोई अयोग्यता नहीं है; इसलिए, प्रतिवादी क्रमांक 4, ग्राम पंचायत चट्टीगिरोला, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद के सरपंच पद का हकदार है। चूँकि विवाद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण लंबित था, प्रतिवादी क्रमांक 4, संशोधन अधिनियम, 2008 का लाभ पाने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री हरित ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

9) संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उसी दिन अयोग्य घोषित कर दिया गया था जिस दिन वह सरपंच निर्वाचित हुआ था, क्योंकि अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) (ड) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि *"कोई भी व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी बनने के लिए पात्र नहीं होगा जिसके दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ हो।"* अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (1) का खंड (ड) एम.पी. क्रमांक 14/2000 द्वारा 26-1-2001 से जोड़ा गया था। कलेक्टर के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चूँकि पहला संतान याचिकाकर्ता की बहन द्वारा गोद लिया गया था, इसलिए उसे अयोग्यता के उद्देश्य से जीवित संतान नहीं माना जा सकता। पहला संतान प्रतिवादी क्रमांक 4, और उसकी पत्नी के विवाह से पैदा हुआ था, भले ही उसे अन्य रिश्तेदारों द्वारा गोद ले लिया गया

हो, वह प्रतिवादी क्रमांक 4 का उत्पन्न संतान ही बना रहा। इस प्रकार, इस मुद्दे पर कलेक्टर का निष्कर्ष निर्विवाद है।

10)माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य[1] के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *"7. यह ध्यान दिया जाएगा कि यह खंड केवल यह घोषित करता है कि सभी विद्यमान विधियां, जहां तक वे भाग III के उपबंधों से असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगी। प्रत्येक संबन्धित/कानून प्रथम दृष्टया भविष्यलक्षी है, जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव के लिए नहीं बनाया गया हो.....*

11)**जयंतीलाल अमरथलाल बनाम भारत संघ[1]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *"8..... यह देखने के लिए कि क्या निरस्त कानून के तहत अधिकार और दायित्व नए अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं, उचित दृष्टिकोण यह जांचना नहीं है कि क्या नए अधिनियम ने अपने नए प्रावधानों द्वारा निरस्त कानून के तहत अधिकारों और दायित्वों को जीवित रखा हैं, बल्कि यह जांचना है कि क्या इसने उन अधिकारों और दायित्वों को छीन लिया है। निरस्त कानून के तहत अधिकारों और दायित्वों को संरक्षित करने वाले नए अधिनियम में व्यक्ति खंड की अनुपस्थिति न तो महत्वपूर्ण है और न ही प्रश्न का निर्णायक है (देखें पंजाब राज्य बनाम मोहर सिंह और टी.एस. बलियाह बनाम आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्कल VI, मद्रास।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य[3]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *"16.....इस तर्क को समझना कठिन है और इसे स्वीकार करना असंभव है। किसी सेवा नियम को भूतलक्षी कहना गलत है, क्योंकि यह मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होता है। पदोन्नति के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का वर्गीक-*

---

[1] (1972) 4 एससीसी 174

[2] एआइआर (38) 1951 एससी 128

[3] (1974) 1 एससीसी 19

रण करने वाला नियम निस्संदेह उन लोगों पर लागू होता है जो नियम बनने से पहले सेवा में आए थे, लेकिन यह भविष्य में लागू होता है, इस अर्थ में कि यह उन लोगों के भविष्य के पदोन्नति के अधिकार को नियंत्रित करता है जो पहले से ही सेवा में हैं। विवादित नियम पहले से की गई पदोन्नति को वापस नहीं लेते हैं या पहले से दिए गए वेतनमान को कम नहीं करते हैं। वे एक गुणात्मक मानक निर्धारित करके वर्गीकरण का प्रावधान करते हैं, उस मानक का मापदंड शैक्षिक योग्यता है। क्या इस तरह के विचार पर आधारित मापदंड शैक्षिक योग्यता है। क्या इस तरह के विचार पर आधारित वर्गीकरण किसी भेदभावपूर्ण दोष से ग्रस्त है, यह एक अलग मामला है जिस पर हम अभी विचार करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से, नियम को पहले भूतलक्षी नहीं माना जा सकता है और फिर इस कारण से अपास्त नहीं किया जा सकता है कि यह अतीत पर अपनी पकड़ बनाकर समान अवसर की गारंटी का उल्लंघन करता है.....

13) **गोविंद दास एवं अन्य बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य**[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"11. अब यह समय के साथ पवित्र और न्यायिक निर्णयों द्वारा पवित्र की गई व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि, जब तक किसी क़ानून की शर्तें स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान न करें या आवश्यक रूप से इसकी आवश्यकता न हो, किसी क़ानून को भूतलक्षी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को छीना या ख़राब किया जा सके या एक नया दायित्व बनाया जा सके या प्रक्रिया के मामलों के अलावा किसी अन्य तरीके से एक नया दायित्व लगाया जा सके। इंग्लैंड के कानूनों के खंड 36 (तीसरा संस्करण) में हेल्सबरी द्वारा बताए गए और इस न्यायालय के साथ- साथ अंग्रेजी न्यायलयों के कई फैसलों में दोहराए गए सामान्य नियम यह है कि उन क़ानूनों के अलावा जो केवल घोषणात्मक हैं या जो केवल प्रक्रिया या साक्ष्य के मामलों से संबंधित हैं, प्रथम दृष्टया संभावित हैं और किसी क़ानून को भूतलक्षी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को प्रभावित, परिवर्तित या नष्ट किया

[4] (1976) 1 एससीसी 906

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सके या एक नया दायित्व बनाया जा सके। या दायित्व, जब तक कि अधि-नियम की भाषा का उल्लंघन किए बिना उस प्रभाव से बचा न जा सके। यदि अधिनियम ऐसी भाषा में व्यक्त किया गया है जिसकी दोनों व्याख्याएँ संभव हैं, तो उसे केवल भविष्यलक्षी के रूप में ही समझा जाना चाहिए...

14) **चेयरमैन, रेलवे बोर्ड एवं अन्य बनाम सी.आर. रंगधामैया एवं अन्य**[5] के मामले में सर्वोच्च न्याया-लय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

20. इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो नियम भविष्य में लागू होता है, ता-कि पहले से सेवा में मौजूद लोगों के भविष्य के अधिकारों को नियंत्रित किया जा सके, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जो नियम किसी पूर्व तिथि से प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए लाभ, जैसे पदोन्नति या वेतनमान को उलटने का प्रयास करता है, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी जा सकती है, जहां तक वह भूतलक्षी रूप से लागू होता है।

24. इनमें से कई निर्णयों में, "निहित अधिकार" या "उपार्जित अधिकार" जैसे शब्दों का प्रयोग उन विवादित प्रावधानों को निरस्त करने के लिए किया गया है, जिन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था ताकि कर्मचारियों की पदोन्नति, वरिष्ठता, मौलिक नियुक्ति आदि के मामलों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके। उक्त शब्दों का प्रयोग संबंधित नियम के अंतर्गत प्रवाहित एक अधिकार के संदर्भ में किया गया है, जिसे पूर्ववर्ती तिथि से परिवर्तित करने और इस प्रकार उस समय लागू नियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। यह माना गया है कि भूतलक्षी प्रभाव वाला ऐसा संशोधन, जिसका प्रभाव कर्मचारी को विद्यमान नियम के अंतर्गत पहले से उपलब्ध लाभ को समाप्त कर-ने का हो, मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। हम यह मानने में असमर्थ हैं कि ये निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[5] (1997) 6 एससीसी 623

रोशन लाल टंडन, बी.एस. यादव और रमन लाल केशव लाल सोनी के निर्णयों के अनुरूप नहीं हैं।

15) इसके अलावा **श्याम सुंदर एवं अन्य बनाम राम कुमार एवं अन्य**[6] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"28.....इसलिए, हमारा यह मत है कि जहां किसी अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद संशोधन अधिनियम द्वारा नया कानून बनाया जाता है, ऐसा कानून भविष्यलक्षी प्रभाव में होता है और पक्षों के मूल या निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि उसे भूतलक्षी रूप से लागू न कर दिया जाए। स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से। हमारा यह भी मानना है कि किसी क़ानून के भूतलक्षी प्रभाव के विरुद्ध एक उपधारणा है और इसके अतिरिक्त, किसी क़ानून का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसका भूतलक्षी प्रभाव उसकी भाषा के अनुसार आवश्यक से अधिक है, बल्कि एक संशोधन अधिनियम जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसे भूतलक्षी माना जाता है, जब तक कि संशोधनअधिनियम अन्यथा प्रावधान न करे...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16) किसी अधिनियम, प्रावधान, नियम आदि के भूतलक्षी और भविष्यलक्षी संचालन की अवधारणा के संबंध में, ऊपर उद्धृत मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को बाद में **एस.एल. श्रीनिवास जूट ट्विन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य**[7] के मामले में अनुमोदित और अनुसरण किया गया है, जिसमें उपरोक्त अनुपात को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"18. यह संरचना का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्टया भावी होता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा भूतलक्षी प्रभाव के लिए नहीं बनाया जाता है। (केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य देखें।) लेकिन सामान्य रूप से नियम वहां लागू होता है जहां क़ानून का उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना या नए भार डालना या मौजूदा दायित्वों को कम करना है। जब तक क़ानून में ऐसे शब्द न हों जो मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने के लिए विधायिका के आशय को दर्शाने के लिए पर्याप्त हों, इसे केवल भा-

[6] (2001) एससीसी 24
[7] (2006) 2 एससीसी 740

वी माना जाता है। नवीन विधि का प्रभाव भविष्यलक्षी होना चाहिए न कि भूतल-क्षी लॉर्ड ब्लेन्सबर्ग के शब्दों में, "ऐसे प्रावधान जो क़ानून के पारित होने के समय विद्यमान अधिकार को प्रभावित करते हैं, उन्हें स्पष्ट अधिनियमन या आवश्यक इरादे के अभाव में भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए" (देखें दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी, एआईआर पृ.244)।

"हर क़ानून में यह कहा गया है", लोपेस, एल.जे. ने कहा,

"जो मौजूदा कानूनों के तहत प्राप्त निहित अधिकारों को छीनता है या नष्ट करता है, या एक नया दायित्व बनाता है या एक नया कर्तव्य लागू करता है, या पहले से ही पिछले लेनदेन के संबंध में एक नई अक्षमता जोड़ता है, उसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं होने का आशय माना जाना चाहिए," (देखें अमीरेड्डी राजगोपाल राव बनाम अमीरेड्डी सीतारामम्मा।)

सामान्य नियम के तार्किक परिणाम के रूप में, उस भूतलक्षी कार्रवाई को तब तक आशयित नहीं माना जाता है जब तक कि वह आशय स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रकट न हो, इस आशय का एक अधीनस्थ नियम है कि एक क़ानून या इसमें किसी धारा की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि उसकी भूतलक्षी प्रभावकारिता उसकी भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक हो। (देखें रीड बनाम रीड।) दूसरे शब्दों में, संसद द्वारा इच्छित भूतलक्षी प्रभाव के दायरे को निर्धारित करने के लिए वैधानिक प्रावधान की भाषा पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। (देखें भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह।) उपरोक्त स्थिति को न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में उजागर किया गया है। (10वां संस्करण, 2006, पृष्ठ 474 और 475 पर।)

17)त्पश्चात, **संगम स्पिनर्स बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1**[8] के मामले में, ऊपर बताए गए सिद्धांतो को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया।

[8] (2008) 1 एससीसी 391

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील के लंबित रहने के दौरान घटित होने वाली घटना या कानून में परिवर्तन पर अपीलीय स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता, भले ही संशोधन के कारण वह अच्छा कानून नहीं रह गया हो।

19) विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम के प्रभाव हेतु विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि जब तक विपरीत आशय प्रकट न किया जाए, प्रावधानों की प्रयोज्यता भविष्यलक्षी होगी। तथ्यात्मक रूप से, संशोधन अधिनियम, 2008 में ऐसा कोई आशय व्यक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार, पूर्व में अर्जित अयोग्यता को बाद के संशोधन अर्थात् संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा ठीक या मान्य नहीं किया जा सकता है।

20) उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, याचिका स्वीकार की जाती है। संचालक, पंचायत, छत्तीसगढ़, राय-पुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-6-2008 (अनुलग्नक-प्रदर्श/1) को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और कलेक्टर, महासमुंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-9-2007 (अनुलग्नक-प्रदर्श/4) को यथावत रखा जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एसडी/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu